इसी प्रकार तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा अपने फैक्स प्रतिवेदन के साथ प्रेषित पत्र सं0 2544 दिनांक 10.07.17 के अनुसार उनके द्वारा अपीलार्थीया को सूचित किया गया है कि चक मानेवाला व जीवनदेसर तहसील रायसिंहनगर क्षेत्र के है जिसकी सूची न0 4 उपनिवेशन विभाग द्वारा तैयार कर उनके तहसील कार्यालय में चार्ज में नही दी गई है।

चूंकि तहसीलदार, अनूपगढ के उक्त पत्र सं0 1405 दिनांक 19.09.17 के अनुसार सूचि न0 4 उनके कायालय में कटी फटी हालत में उपलब्ध है जिसके लिए उनके द्वारा अपीलार्थीया को रिकार्ड का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा गया है। अपीलार्थीया को चाहिए कि वह तहसीलदार, अनूपगढ के कार्यालय में उपस्थित होकर उनके कार्यालय में उपलब्ध सूचि न0 4 का अवलोकन कर उसमें से वह जो सूचना लेना चाहे, वह नियमानुसार प्राप्त कर सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। तहसीलदार, अनूपगढ़ को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थीया उनके कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध सूचि न0 4 का अवलोकन कर उसमें से जो सूचना प्राप्त करना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार घड़साना, सूरतगढ़ व अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थीया को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2045-48
20/11/17

यह आदेश आज दिनांक 08.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 72/2017 अनवानी श्रीमति सोनी टिलवाली पुत्री स्व0 श्री चूहड़मल सिंधी निवासी मकान न0 145, सुभाष चौक, रतनाडा–जोधपुर बनाम तहसीलदार सूरतगढ़ व घड़साना

08–11–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीया श्रीमति सोनी टिलवाली उपस्थित नही है। तहसीलदार, घड़साना की ओर से कमल किशोर लिपिक ग्रेड सेकेंण्ड उपस्थित है उनके द्वारा तहसीलदार, घड़साना का प्रतिवेदन संख्या 954 दिनांक 07.11.17 प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ का बिना नम्बर व दिनांक का फैक्स से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार घड़साना के प्रतिनिधि को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार, घड़साना के प्रतिनिधि श्री कमलकिशोर लिपिक ग्रेकड सेकेण्ड का कथन है कि अपीलार्थीया को उसके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उसका आवेदन पत्र तहसीलदार अनूपगढ़ को पत्र संख्या 2358 दिनांक 21.07.17 से सूचना उपलब्ध करवाने के लिए भिजवा दिया गया था जिसकी प्रति अपीलार्थीया को भी प्रेषित की गई है। जिस पर तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ ने अपने पत्र सं0 1405 दिनांक 19.0917 के द्वारा अपीलार्थीया को उसके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है।

उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थीया श्रीमति सोनी टिलवानी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक14.05.2017 के द्वारा लोक सूचना से निम्न सूचनांए चाही थीः–

(अ) रोही मौजा ग्रामों से चकों के खसरा नम्बरों में परिवर्तित हुए नम्बरो की सूचना।

(ब) सामान्य वास्ते पेख्श करने बतौर सबूत जिला श्रीगंगानगर।

(स) (1). रोही मोजा मानेवाला 45/24.02

(2).रोही मोजा जीवनदेसर खसरा नम्बर 10/39.8, 19/17.11, 36/21.08, 57/22.13, 11/15.14, 120/67.03, 142/7.08, 143/16.09, 150/37.08, 165/39.00, 141/90.00, 101/33.19, 100/12.00, 99/38.00

(3) रोही मौजा सतराना 56/25.04, 65/5.00, 68/25.07, 90/10.00, 80/12.08, 81/10.1, 45/12.13, 69/22.03, 19/14.00, 77/30.19, 3/10.03, 16/7.12, 18/10.03, 53/7.12, 54/2.01, 55/12.03, 67/15.03, 72/7.11, 56/29.04

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी के अपील पत्र तहसीलदार (राजस्व) घड़साना द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या 954 दिनांक 07.11.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थीया को आवेदन पत्र से संबंधित सूचना के संबंध में पत्र संख्या भू.अ./2017/2358 दिनांक 21.07.17 द्वारा निर्धारित अवधि में प्रेषित की गयी है। जिस अनुसार उनके द्वारा अपीलार्थीया के आवेदन पत्र की प्रति तहसीलदार, अनूपगढ़ को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रेषित की गयी है और तहसीलदार, अनूपगढ ने अपने पत्र सं0 भू.अ./17/ राजस्व/1405 दिनांक 19.09.17 के द्वारा अपीलार्थीया को उत्तर भिजवाया गया है कि सूची न0 4 का रिकार्ड अत्यन्त ही पुराना एवं कटी फटी हालत में एवं प्रमाणित भी नही है। तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर रिकार्ड का अवलोकन कर उपलब्ध रिकार्ड में से सूचना प्राप्त करने के लिए अपीलार्थीया को सूचित किया गया है।